समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल

आवेदक –: मदन आ. राधे कतिया PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/6368

निवासी पीपरपानी तह. बनखेड़ी जिला – होशंगाबाद

//वनाम्//

अनावेदक –: वैजन्तीबाई पुत्री हल्के पत्नि बालकिशन कतिया

निवासी दहलवाड़ा खुर्द तह. बनखेड़ी जिला – होशंगाबाद

//निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959//

//उत्पन्न//

न्यायालय श्रीमान –: नायब तहसीलदार बनखेड़ी, जिला – होशंगाबाद

रा.प्र.क्र –: 30अ/27 वर्ष 2016–17 मौजा पीपरपानी

पक्षकार –: वैजन्तीबाई वनाम् मदन

आदेश दिनांक –: 04/12/2017 (जिसके द्वारा अंतरिम आपत्ति अमान्य की गई)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
26/12/17	आवेदक की ओर से श्री आशीष गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया । उनके द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति किस आधार पर अमान्य की गई है, इसका कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । नायब तहसीलदार के आदेश का अवलोकन किया गया । अतः नायब तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें । यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	